

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1983/2011/भीलवाड़ा

मै० रामेश्वर लाल कलवार शाहपुरा भीलवाड़ा।

...अपीलार्थी

बनाम

1. उपयुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा
 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाड़ा
- ...प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

लिखित बहस प्राप्त

द्वारा श्री एम.पी.शर्मा कर सलाहकार

...अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

...प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.04.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 82 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 03.08.2010 को निरस्त करते हुए दिशा निर्देशों के साथ प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है। जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है तथा उसके द्वारा वर्ष 2008-09 हेतु प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर बिना ई.सी. पर आधारित प्राप्तियां 15,37,255/- रु. थी। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा कर निर्धारण किया जिसके विरुद्ध व्यवहारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील में विवादित टर्न ओवर पर निर्धारित कर 23,221/- रु. को विवादित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा निम्न प्रकार निर्णय पारित किया गया है :-

(1). व्यवहारी द्वारा सीमेन्ट 3(2) के अंतर्गत आने वाले व्यवहारी से खरीद किया है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया। व्यवहारी द्वारा जो 3(2) "प्रशमन योजना" के अंतर्गत आने वाले व्यवहारी से सीमेंट खरीद किया है उस खरीद पर व्यवहारी को इस पर

277

आई.टी.सी. नहीं मिलेगा क्योंकि यह वेट अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है।

(2). व्यवहारी द्वारा जो रेती की खरीद की गई है उस खरीद पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है। अतः इस बिन्दु पर अपील प्रतिप्रेषित की जाकर कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे रेती पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण करें एवं पत्थर पर जो कर देय बनता है वह मात्रा के हिसाब से आरोपित किया जावे, जिसका विस्तृत ब्यौरा व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वक्त सुनवाई पेश करेगा। इस आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में कथन किया गया कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2008-09 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2010 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश के क्रम सं. 2 से रीवर सैण्ड के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है तथा यह निर्देश दिया है कि रीवर सैण्ड पर 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत से ही करारोपण किया जावे। अधिकृत ठेकेदार जारी वेट 39 बजरी लिखा हुआ है तथा कर निर्धारण अधिकारी यह मानस बना चुके हैं कि वे बजरी पर ही कर निर्धारण करेंगे अतः प्रतिप्रेषित आदेश में बजरी व नदी की रेती का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अपीलार्थी की ओर से यह भी कथन है कि धारा 3(2) में की गई खरीद पर पूरा वेट चुका हुआ रहता है क्योंकि इस स्कीम में पहले से ही सभी पांबदिया लगा रखी हैं। इस खरीद पर विक्रेता द्वारा तय प्रश्मन राशि चुका देता है। इस प्रकार यह माल छूट प्राप्त हो जाता है। इस माल को यदि प्रार्थी ने क्रय कर ठेका कार्य में उपयोग लिया है तो उस पर पूरी दर से वेट आरोपित करना विधि के विपरित है। ऐसी खरीद पर पुनः वेट आरोपित नहीं किया जाये। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :-

7. अपील में प्रथम मुख्य आधार यह है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2008-09 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2011 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार समय सीमा 31.03.2011 तक थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश इससे पूर्व दिनांक 03.08.10 को पारित कर दिया है तो इसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न स्तरों पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचाराधीन रहा है तो वह अवधि सीमा की गणना हेतु नहीं मानी जायेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया है तो इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि प्रकरण में समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

8. अपीलार्थी का अपील में द्वितीय मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश के क्रम सं. 2 से रीवर सैण्ड के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है तथा यह निर्देश दिया है कि रीवर सैण्ड पर 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत से ही करारोपण किया जावे। अधिकृत ठेकेदार जारी वेट 39 बजरी लिखा हुआ है तथा कर निर्धारण अधिकारी यह मानस बना चुके हैं कि वे बजरी पर ही कर निर्धारण करेंगे। अतः प्रतिप्रेषित आदेश में बजरी व नदी की रेती का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रेषित किया है।
Shcedule IV के अन्तर्गत क्रम संख्या 115 निम्न प्रकार है :-

1-115.	River sand excluding bajri	5	
	1. Deleted by Notification No. F.12(52) FD/Tax/ 09-pt. dated 31-12-2010 w.e.f. 01-01-2011		

अधिसूचना संख्या 2136 एफ.12 (63) एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.06 की क्रम संख्या 1 पर "बजरी" का उल्लेख है जिस पर प्रति ट्रक ई.सी. फीस देय होने का उल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि "बजरी" पर प्रति ट्रक व "रीवर सैण्ड" 5 प्रतिशत की दर से कर देय है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में आंशिक संशोधन किया जाना उचित है कि कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी की विवरणिकाओं के अनुसार क्रय विक्रय की गई वस्तु की श्रेणी व उस पर तत्समय देय कर की गणना व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करें।

21

9. अपीलार्थी का तृतीय मुख्य आधार यह है कि धारा 3(2) में की गई खरीद पर पूरा वेट चुका हुआ रहता है क्योंकि इस स्कीम में पहले से ही सभी पाबंदिया लगा रखी है। इस खरीद पर विक्रेता द्वारा तय प्रश्मन राशि चुका देता है। इस प्रकार यह माल छूट प्राप्त हो जाता है। इस माल को यदि प्रार्थी ने क्रय कर ठेका कार्य में उपयोग लिया है तो उस पर पूरी दर से वेट आरोपित करना विधि के विपरित है। ऐसी खरीद पर पुनः वेट आरोपित नहीं किया जाये।

10. अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार को पण्यवर्त पर अधिसूचित कर दर का भुगतान किया जाता है व अन्य व्यवहारिक सुविधाओं के तहत अधिसूचित व्यवहारियों के लिये कर जमा करवाने का एक विकल्प है। अतः यदि ऐसे पंजीकृत व्यवहारियों से कोई संविदाकर्ता माल क्रय करता है और संविदा कार्य में प्रयुक्त करता है तो ऐसी विक्रय की गयी वस्तुओं पर कर भुगतान का दायित्व अधिनियम के तहत क्रेता व्यवहारी संविदाकर्ता पर होगा क्योंकि उक्त वस्तु का विक्रय "डीमंड सेल" की श्रेणी में आता है। ऐसे पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गयी वस्तुओं पर अधिनियम की धारा 18 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देय नहीं होगा क्योंकि संविदाकर्ता व्यवहारी द्वारा उक्त माल वैट इन्वॉयस से क्रय नहीं किया गया है। इस संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 11 के उप-नियम-2 का अवलोकन करना समीचीन होगा जो इस प्रकार है :-

11(2) The last point in the series of sales shall be the sale in such series by a registered dealer to a consumer or to a unregistered dealer or to a registered dealer for purposes other than resale within the State or to a registered dealer who has opted for payment of tax under subsection (2) of section 3 or section 5 of the Act.

11. उपर्युक्त उप-नियम में विक्रय के अंतिम बिन्दु की बिक्री को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 3(2) व 5(1) के तहत पंजीकृत व्यवहारी संविदाकर्ता को किये गये विक्रय को अधिनियम के तहत विक्रय अवली (Series of Sales) में अंतिम बिन्दु माना गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से माल क्रय कर संविदा कार्य में प्रयुक्त किया गया है जो कि डीमंड विक्रय की श्रेणी में आता है। अतः पुनः विक्रय होने पर इसके पण्यवर्त पर कर देयता बनती है। अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार "The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. however, claim of input tax credit

er

of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. if the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions.

12. बिन्दु संख्या 9 में वर्णित आधार के संबंध में बिन्दु सं. 10 व 11 में की गई विवेचना के अनुसार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से क्रीत माल को संविदा कार्य में प्रयुक्त माल पर कर देयता बनती है तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं है। इस प्रकार अपील का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.07.2011 के बिन्दु सं. 2 जिसमें बजरी पर 12.5 प्रतिशत से करारोपण के स्थान पर रेती पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किये जाने के आदेश दिये हैं, के स्थान पर “ कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी द्वारा क्रय विक्रय की गई वस्तु की श्रेणी व उस पर तत्समय देय कर की गणना नियमानुसार एवं विधिसम्मत रूप से व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करें ” किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.05.2015 को उपस्थित हो।

14. निर्णय सुनाया गया।

nc&rn
(नत्थूराम)
सदस्य